न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—175 / 2013 / 75(2013 / 00114)

1. जगदीश प्रसाद पुत्र धूंकल, जाति जांगिड़, निवासी गीता भवन के पास ब्यावर, तह0 ब्यावर, जिला अजममेर ।

अपीलांट

बनाम

1. प्रेमचंद पुत्र रामपाल,
2. मुकेश पुत्र देवीलाल,
3. चम्पालाल पुत्र चतुर्भुज,
4. सम्पत पुत्र चन्द्रा,
5. रामेश्वर पुत्र गोकल,
   समस्त जाति जांगिड़, नि0 रहमान खेड़ा, खातियों की ढाणी, तह0ब्यावर जिला अजमेर ।
6. बुद्धा पुत्र सूरजमल, जाति माली, निवासी रहमान खेड़ा, खातियों की ढाणी तहसील ब्यावर, जिला अजमेर ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, ब्यावर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर दिनांक 7.12.2012 अंतर्गत राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51 / 2011.

उपस्थितः—

1. श्री अजित सिंह राठौड़, वकील अपीलांट ।
2. श्री मोहम्मद इकबाल, वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6.
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 7.

निर्णय

दिनांकः—05.02.2019

1. यह अपील विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के आदेश दिनांक 7.12.2012 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 6 ने विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 13 राजस्थान भू—राजस्व आवंटन नियम 1970 एवं संशोधित नियम 2009 के तहत अपीलांट एवं रेस्पो0 संख्या 7 के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रहमान का खेड़ा स्थित भूमि खसरा नंबर 353 रकबा 19 स्वा

पाल पर किसी का कब्जा काश्त नहीं होने के बाद भी उक्त तथ्यों को छिपाकर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा कब्जा बताते हुए रकबा 5 बिस्वा किस्म पाल का आवंटन दिनांक 22.12.2010 को अपने पक्ष में करवा लिया है । अतः अप्रार्थी संख्या 1 को रकबा 5 बिस्वा किस्म पाल का किया गया आवंटन निरस्त किया जावे । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने आदेश दिनांक 7.12.2012 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पो0 संख्या 1 से 6 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन आदेश दिनांक 22.12.2010 को निरस्त करने के आदेश पारित किये । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 के उपस्थित होने तथा अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नंबर 353 रकबा 19 बिस्वा जमाबंदी में खड्डे, पाल व उसर वाली भूमियां दर्ज है जिनमें कृषि कार्य संभव नहीं है तथा गैर मुमकिन भूमियां है जो चाह निर्माण करने के लिये उपलब्ध भूमियां है । आवंटन नियम 1979 के नियम 5 के अनुसार भी गैर मुमकिन भूमियां ही चाह निर्माण हेतु आवंटन की जाती है। वाद आराजी रकबा 19 बिस्वा में से 5 बिस्वा भूमि पर आवंटन के पूर्व से ही बोरिंग खुदा हुआ है जो 8 इंच चौड़ा तथा 600 फुट गहरा है जिस पर विद्युत मोटर लगा रखी है, जिससे अपीलांट के खातेदारी के खेत खाता संख्या 37 खसरा नंबर 327 व 328 की सिंचाई करता है जिससे यह पूर्णतया सिद्ध था कि अपीलांट द्वारा आवंटन आदेशों की पूर्ण पालना की जा रही है। विद्वान वकील अपीलांट ने बहस को आगे बढ़ाते हुए कथन किया कि आवंटन नियम 1979 में अस्थायी आवंअन बाबत् कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि उक्त आवंटन नियमों में भूमि चाह निर्माण के लिये ही आवंटित की जाती है तथा चाह स्थायी होता है । धारा 16 राज0काश्त0अधि0 में पाल भूमि का आवंटन चाह निर्माण करने हेतु बाधित नहीं किया गया है । अधी0न्याया0 ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअदांज कर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का आवंटन निरस्त करने में विधिक त्रुटि कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि पड़ौसी खातेदारान द्वारा भी आवंअन सलाहकार समिति के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपीलांट को जो बोरिंग हेतु भूमि का आवंटन किया गया है उससे कोई आपत्ति नहीं होना बताया था । रेस्पोडेंटस अपीलांट के पड़ौसी खातेदारान न होकर बल्कि अपीलांट के समाज के होकर भाई–बंध है जो अपीलांट से द्वेषता रखते है इसीलिये अधी0न्याया0 के समक्ष उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया था । नियम 13 के तहत उसी आवंटन को निरस्त किया जा सकता है जहां भूमि चाह निर्माण करने के अयोग्य हो या भविष्य में अयोग्य हो सकती है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अपीलाधीन आदेश से अपीलांट का आवंटन निरस्त करने में त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 22.12.2010 निरस्त किया जावे तथा अपीलांट के हक में निष्पादित आवंटन आदेश दिनांक 22.12.2010 बहाल रखने के आदेश प्रदान करावें ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 यिमाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अधी0न्याया0 के निर्णय की सूचना दी गई थी लेकिन अभिभाषक की चिट्ठी प्रार्थी को नहीं मिली जिससे प्रार्थी को अपीलाधीन आदेश की जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । दिनांक 31.3.2013 को अप्रार्थीगण एकजुट होकर अपने मवेशियों को लेकर मौके पर आये और प्रार्थी की खड़ी रबी की फसल को जानवरों से चराकर नष्ट करने एवं प्रार्थी के बोरिंग, मोटर को

तोड़ने पर आमादा होने पर अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई । तत्पश्चात् अपने अधिवक्ता से संपर्क कर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है। अपील में हुआ विलंब सद्भाविक एवं उचित है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 ने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांट ने तथ्य छिपाकर आवंटन कराया है जबकि विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा काश्त नहीं रहा है । उपखण्ड अधिकारी, ब्यावर ने भी बिना जांच पड़ताल किये आवंटन किया है । अपीलांट धनी व्यक्ति है जो कृषि कार्य नहीं करता है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में आगे कथन किया कि आवंटन अस्थायी होने के बावजूद नामांतकरण संख्या 193 दिनांक 27.12.2010 से अपीलांट को खातेदारी दे दी गई जो विधिविरूद्ध है । धारा 16 राज0काश्त0अधि0 के विरूद्ध पाल भूमि का आवंटन किया गया है जो गलत है । विद्वान वकील रेस्पो0 ने मान0 राजस्व मण्डल द्वारा रिवीजन संख्या 51016/2012/एल0आर0/कोटा बउनवानी घीसी बाई बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 5.9. 2012 की ओर ध्यान आकषित कर निवेदन किया कि मान0 माण्डल ने अपने निर्णय में गैर मुमकिन पाल की भूमि को आवंटन योग्य नहीं माना है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अपीलांट का आवंटन निरस्त किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाकिव प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांट को सुना जाना उचित समझते है । अतः अपील में हुआ विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम रहमान खेड़ा, तहसील ब्यावर स्थित आराजी खसरा नंबर 353 रकबा 19 बिस्वा किस्म पाल में से अपीलांट को 5 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है । जमाबंदी राजस्व रिकार्ड के अनुसार विवादित भूमि सिवायचक खाता मिल्कियत सरकार खड्डे पाले व उसर वाली भूमियां दर्ज है । धारा 16 राज0काश्त0अहधि0 के तहत विवादित भूमि की किस्म पाल व खड्डे होने से कुंए के आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं है तथा राजस्थान भू–राजस्व (सिंचाई के प्रयोजनो के लिये कुएं खोदने और पप्प सेट लगाने के लिये भूमि का आवंटन)नियम 1979 के अनुसार भी पाल भूमि कुंआ खुदवाने व पप्प सेट लगाने हेतु उपयुक्त नहीं है । मान0 राजस्व मण्डल ने भी रिवीजन संख्या 51016/2012/एल0आर0/कोटा बउनवानी घीसी बाई बनाम राज0 सरकार में पारित निर्णय दिनांक 5.9.2012 में गैर मुमकिन लाताब एवं गैर मुमकिन पाल की भूमि को आवंटन हेतु बाधित माना है । उपरोक्त नियम के परिप्रेक्ष्य में अपीलांट को विवादित गैर मुमकिन पाल एवं खड्डे की भूमि में से 5 बिस्वा भूमि का पम्प सेट हेतु किया गया आवंटन भी विधिसम्मत् नहीं पाया जाता है । विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर ने उपरोक्त समस्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अपीलाधीन आदेश द्वारा अपीलांट का आवंटन आदेश दिनांक 12.12.2010 को अपास्त किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रकट नहीं होती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 का आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट खारित की जाती है तथा विद्वान जिला कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7.12.2012 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 05.02.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर